ह०आ० - 701/ पी०सी० 15-2-2023 154/12

संख्याः 439/24-पी-3-2023-24-3099/2/2023

प्रेषक

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

कार्यवाहक निदेशक,
विधुत सुरक्षा,
गोमती नगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 के पैरा-4.1 के अनुसार पाँच वर्षों के भीतर स्थापित कुक्कुट इकाईयों को विद्युत बिल में 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि पशुधन विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 के पैरा-4.1 में यह उपबंध किया गया है कि प्रदेश में योजनान्तर्गत स्थापित कुक्कुट इकाईयों के विद्युत बिलों में 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के बजट से की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1952) की धारा 3 की उप-धारा (4) में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त नीति के जारी किये जाने के पाँच वर्षों के भीतर क्रियाशील समस्त कुक्कुट इकाईयों को 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। विद्युत शुल्क में छूट की प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के द्वारा की जायेगी। विद्युत शुल्क में छूट की प्रतिपूर्ति से पूर्व उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 से प्रतिपूर्ति धनराशि का परीक्षण कराया जायेगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

20/03/2023

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

संख्या /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

(2) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग उ0प्र0 शासन।

(2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को), कानपुर।

(5) पशुधन अनुभाग-2

(6) ऊर्जा अनुभाग-1,2 एवं ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।